प्रेस विज्ञप्ति

आज उपायुक्त खूँटी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में झारखण्ड अधिविद्य परिषद, रांची द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा–2018 हेतु खूँटी जिला में कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने हेतु बैठक की गई। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा के लिए 19 परीक्षा केन्द्र तथा इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा के लिए 9 परीक्षा केन्द्र बनये गये हैं। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा हेतु प्रखण्ड खूँटी में परीक्षार्थियों की संख्या 1772, प्रखण्ड कर्रा में 1406, प्रखण्ड तोरपा में 1221, प्रखण्ड रनिया में 530, प्रखण्ड मुरहू में 781 एवं प्रखण्ड अड़की में 512 जिले में कुल 6222 परीक्षार्थी शामिल होंगे तथा इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा के लिए खूँटी जिला मुख्याालय में कुल 9 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं, जिसमें कुल 4249 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा दिनांक 08.03.18 से 21.03.18 तक एवं इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा दिनांक 08.03.18 से 27.03.18 तक संचालित होगा।

परीक्ष शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त सम्पनन कराने हेतु विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में स्टैटिक दण्डाधिकारी, गष्ती दण्डाधिकारी एवं फ्लाईंग मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। तथा सभी केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल उपलब्ध कराने का निदेष अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, खूँटी/तोरपा को दिया गया है। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में सी0सी0टी0वी कैमरा लगाने हेतु जिला षिक्षा पदाधिकारी, खूँटी को निदेषित किया गया है। परीक्षा में प्रतिनियुक्त सभी केन्द्राधीक्षकों, स्टैटिक दण्डाधिकारियों, गष्ती दण्डाधिकारियों एवं फ्लाईंग मजिस्ट्रेटों को शक्त निदेष दिया गया है कि किसी भी परिस्थिति में परीक्षा के दौरान अनुषासनहीनता या कदाचार भंग नहीं होना चाहिए अन्यथा विद्यार्थियों के साथ–साथ संबंधित केन्द्र के केन्द्राधीक्षक एवं षिक्षकों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। किसी भी परिक्षार्थियों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखनी चाहिए। जो परीक्षार्थी बेहत्तर पढ़ाई किये हैं उन्हे बेहत्तर परिणाम मिले इसका ख्याल रखा जाय।

स्टैटिक दण्डाधिकारियों को निदेष दिया गया, कि किसी भी परिक्षार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं बैग के साथ परीक्षा केन्द्र के अन्दर प्रवेष करने नहीं देंगे। परीक्षा केन्द्र में परीक्षा प्रारंभ के 2 घंटा पूर्व निष्चित रूप से प्रतिनियुक्त गष्ती दण्डाधिकारी प्रष्न–सह–उत्तर पुस्तिका संबंधित परीक्षा केन्द्र को उपलब्ध करायेंगे। कदाचार मुक्त परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु जिला प्रषासन कृत संकल्प है। इस हेतु प्रतिनियुक्त सभी फ्लाईंग मजिस्ट्रेट तथा जिले के वरीय अधिकारियों को परीक्षा के दौरान भ्रमणषील रहने का निदेष उपायुक्त महोदय द्वारा दिया गया है। परीक्षा शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त सम्पन्न कराने हेतु परीक्षा केन्द्रों के 100 मीटर के परिधि में निषेधाज्ञा लगाया गया है। कदाचार मुक्त परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसका नं0–8521005732, 9973280631,

9431545944 है। इस बैठक में निदेषक आई0टी0डी0ए0, जिला षिक्षा पदाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी, जिला षिक्षा अधीक्षक, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खूँटी सभी परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक आदि उपस्थित थे।